# फतेहगढ़ पुलिस

## प्रेस नोट – थाना कादरीगेट

## दिनांक :- 15.06.2024

## थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 158/24 धारा- 379/420/411 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तगण को चोरी किये गये माल सहित गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री विकास कुमार** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **श्री प्रदीप कुमार** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.06.2024 को थाना कादरीगेट पुलिस व एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रुप से थाना कादरीगेट पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 158/2024 धारा- 379/420/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. सोएब पुत्र इदरीस खान निवासी मघई टोला कोतवाली व जनपद शाहजहांपुर 02. राकेश उर्फ दीपक पुत्र पन्चूराम निवासी ग्राम पिपोरा थाना मादकुँआ जनपद छतरपुर (म0प्र0) को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सोएब पुत्र इदरीस खान निवासी मघई टोला थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।
2. राकेश उर्फ दीपक पुत्र पन्चूराम निवासी ग्राम पिपोरा थाना मादकुँआ जनपद छतरपुर (म0प्र0)।

**घटना का विवरण:-** दिनांक 13.06.2024 को वादिनी मधु पत्नी श्री स्व0 सजीव कुमार निवासनी गढी अशरफ अली जसमई चौराहा जनपद फर्रूखाबाद को बस स्टैण्ड फर्रूखाबाद से 02 व्यक्ति गाड़ी सं0 UP 27BD 5550 टाटा टियागो (नीले रंग) से आये और वादिनी को हरपालपुर जाने की बात कहकर अपनी गाडी में बैठा लिया और खुद को फोरेंसिक टीम का बताकर धोखाधडी करके 02 चैन पीली धातु 01 पैण्डल पीली धातु 5000 रुपये नगद चोरी कर लिया, जिसके बाद वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 158/2024 धारा 379/420 पंजीकृत हुआ था। विवेचना के क्रम में दिनांक दिनांक 14.06.2024 को थाना कादरीगेट पुलिस व एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रुप से 02 अभियुक्तगण 01. सोएब पुत्र इदरीस खान निवासी मघई टोला कोतवाली व जनपद शाहजहांपुर 02. राकेश उर्फ दीपक पुत्र पन्चूराम निवासी ग्राम पिपोरा थाना मादकुँआ जनपद छतरपुर (म0प्र0) को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** अभियुक्तगण ने एक राय होकर बताया कि साहब हम दोनो लोग साथ मिलकर अलग-अलग जगह से भोली भाली जनता को झांसे में लेकर अपनी गाडी में बैठा लेते है और रास्ते में सामान छल करके उनसे चोरी कर लेते है हम आये दिन ऐसी घटना करते रहते है। अब भी हम दोनो लोग बद्री विशाल कालेज के सामने सवारियों का इंतजार कर रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

## बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद चैन पीली धातु,
2. 01 अदद पैण्डल पीली धातु ,
3. 5000 रुपये नगद
4. 01 अदद आधार कार्ड वादिया
5. 01 काला बैग जिसमें 01 अदद कैची 01 अदद स्टेपिनर 01 अदद सुई धागा
6. 01 अदद सोना तोलने वाली इलेक्ट्रोनिक मशीन
7. 01 अदद पैन मय एक छोटी डायरी

## अभियुक्त सोएब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 158/2024 धारा 379/420/411 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ ।

## अभियुक्त राकेश उर्फ दीपक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 158/2024 धारा 379/420/411 भादवि थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ ।

## गिरफ्तार करने वाली थाना कादरीगेट पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री अनिल सिकरवार(चौकी प्रभारी कादीरगेट)
2. का0 रिंकू चाहर
3. का0 राजन सिंह
4. का0 अमित कुमार सैनी
5. का0 सौरभ यादव

## एसओजी टीम व सर्विलांस टीम

**मीडिया सेल फतेहगढ ।**

# फतेहगढ़ पुलिस

**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

**थाना फतेहगढ**

**दि0- 15-06-2024**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त 1. सल्लू पुत्र सुनील निवासी 6B-504 आवास विकास कालोनी फर्रुखाबाद, थाना व जिला फर्रुखाबाद 2.शिवकुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी 1/560 आवास विकास कालोनी थाना फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद । मु0अ0सं0- 1135/2010 वाद स0- 62/2011 धारा- 147,302 भा0द0वि0 थाना को0 फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि0गण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **दिनांक 15.06.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-प्रथम फर्रुखाबाद द्वारा अभि0गण को दोषसिध्द कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

एडीजीसी -श्री अनिल कुमार बाजपेयी

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 कमल सिंह

पैरोकार हे0का0 नरेन्द्र कुमार

GPS Map Camera
Jahan Ganj, Uttar Pradesh, India
7H33+6MX, Jahan Ganj, Pataunja, Uttar Pradesh 209739, India
Lat 27.252989°
Long 79.554216°
प्रभारी निरीक्षक
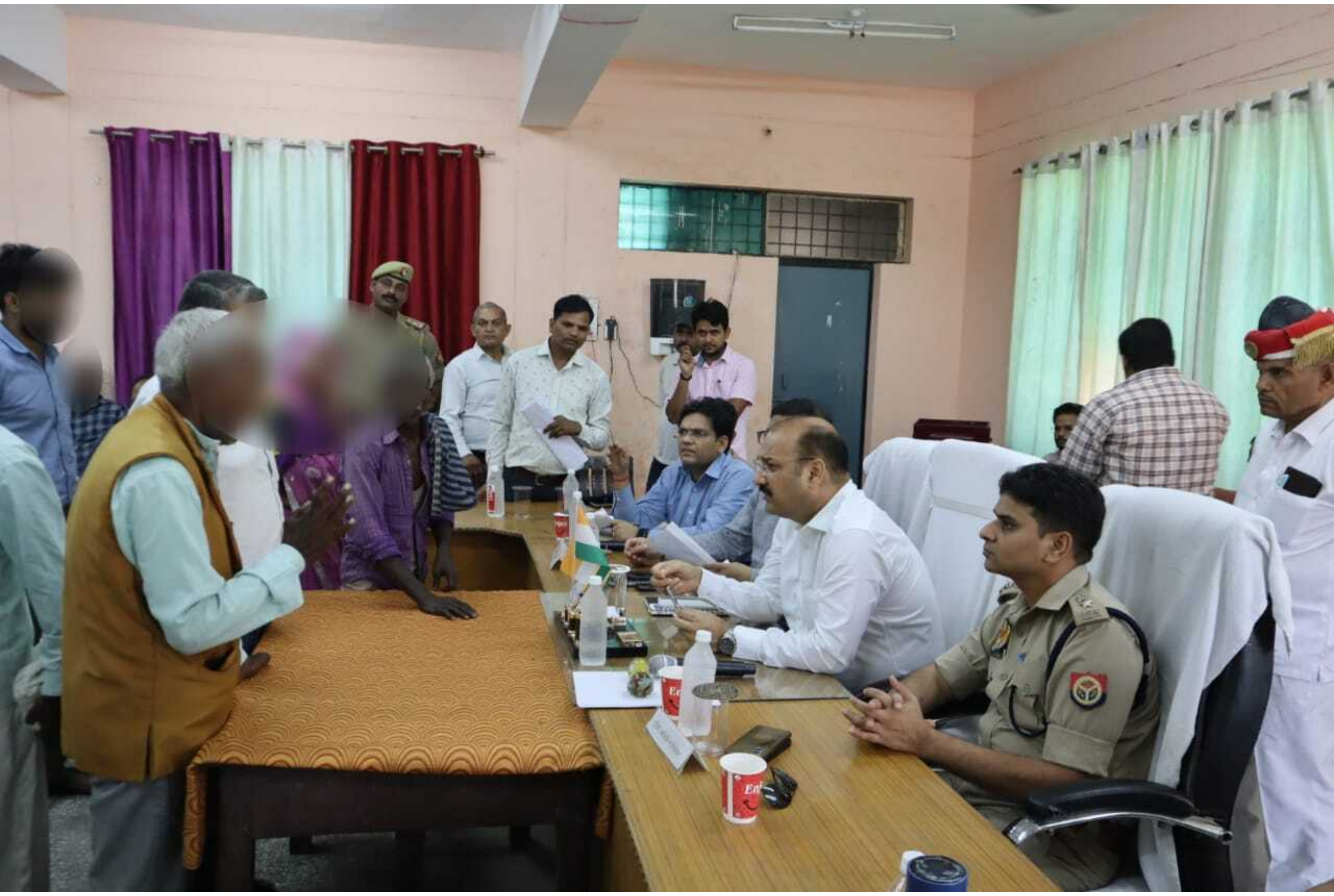
सम्पूर्ण समाधान दिवस
तहसील - सदर
जनपद - फर्रुखाबाद
vivo V23e 5G